न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:— दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 569/2024 प्रा0 पत्र

दायर दिनांक 29.07.2024

निर्णय दिनांक 09.06.2025

उनवान

1. श्रीमती हरजीत कौर पत्नी जगतार सिंह सन्धू निवासी 5—बी—36, न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर, भीलवाडा मृतक कायम मुकाम जरिये विधिक वारिसान :—
1/1 जगतार सिंह संधु पुत्र श्री सेवा सिंह सिंधु, निवासी न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर भीलवाडा
1/2 मनरूप सिंह सन्धु पिता जगतार सिंह सन्धु निवासी न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर भीलवाडा
1/3— जगरूप सिंह सन्धु पुत्र श्री जगतार सिंह सन्धु निवासी न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर भीलवाडा

बनाम

—— प्रार्थीगण

1. श्री शांतिलाल पिता कन्हैयालाल कुम्हार, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
2. हरिओम पिता कन्हैयालाल कुम्हार, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
3. देवीलाल पिता जयराम कुम्हार, निवासी हरणीखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी/ नायब तहसीलदार, बडलियास (राज०)

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् रेकार्ड में नया मार्ग (रास्ता) दर्ज कराये जाने व खुलासा रखाया जाने बाबत्

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता प्रार्थीया श्री दिनेश शर्मा, उपस्थित।

2—विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं।

3— विपक्षी संख्या 04 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य एव खातेदारी अधिकारों की ग्राम बन का खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 2771/123 रकबा 6 बीघा भूमि स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजी पर जाने के लिए रिकार्ड में कोई मार्ग दर्शित नहीं है और प्रार्थी की आराजी के निकट स्थित आराजी संख्या 120/1 व 124/1 में से होकर रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। किन्तु उक्त रास्ते के जरिये प्रार्थी अपनी आराजी पर कृषि आदि करने के लिए ट्रैक्टर, बैलगाड़ी इत्यादि नहीं ले जा सकता है क्योंकि रास्ता पर्याप्त चोड़ा नहीं है एवम् यह भी समस्या है कि रिकार्ड मे रास्ता नहीं होने से रास्ते के उपयोग को लेकर अक्सर विपक्षीगण के साथ विवाद की स्थिति बनी रहती है। और कई मर्तबा विपक्षीगण प्रार्थी को उसकी आराजी में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न करते है जिससे यह प्रार्थनापत्र उसी मार्ग को पर्याप्त व आवश्यकतानुसार चोड़ा कर रिकार्ड लिए जाने बाबत निम्न आधारो पर सादर पेश किया जा रहा है। दिनांक 20.01.2005 को ग्राम पंचायत बन का खेड़ा की कोरम हुई थी जिसमें प्रार्थी की उक्त आराजी पर जाने के लिए आ.स. 120/1 व 124/1 के मध्य मार्ग निकालने के लिए आम सहमति बनी थी व रास्ते के लिए मौका पर्चा तैयार किया गया था। उक्त मौका पर्चा तैयार किये जाने के बावजूद विपक्षीगण मौका पर्चानुसार प्रार्थी को रास्ते का उपयोग करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे है और पारस्परिक सहमति से मामला तय नहीं हो पा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थी को अपने खेत पर जाने के लिए करीब 24 से 30 फिट तक के चौडे मार्ग की आवश्यकता आत्यंतिक रूप से है यदि इससे कम चौडाई वाला मार्ग होगा तो प्रार्थी अपने खेत पर कृषि आदि करने के लिए साधन लाने ले जाने में पूर्ण रूप से विफल रहेगा। प्रार्थी उक्त मार्ग की मांग केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं कर रहा है। प्रार्थी की आराजी संख्या 2771/123 में आराजी संख्या 120/1 व 124/1 में से मार्ग निकाले जाने एवं नियमित मार्ग को चौडा किये जाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प मौजूद नहीं है। आराजी संख्या 120/1 एवं 124/1 भीलवाड़ा कोटा मार्ग से सटी हुई है और प्रार्थी की खेत उक्त आराजीयात के पीछे की और है अर्थात् प्रार्थी के खेत व भीलवाड़ा कोटा मार्ग के मध्य उक्त आराजी संख्या 120/1 व 124/1 स्थित है और प्रार्थी को अपनी आराजी पर जाने के लिए उक्त आराजी संख्या 120/1 एवं 124/1 के मध्य से होकर ही गुजरना पड़ता है प्रार्थी को अपनी जोत पर जाने के लिए उपरोक्त रास्ता ही एक मात्र विकल्प है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्णित विद्यमान मार्ग को 24 से 30 फीट तक जो भी उचित समझे चौडा करवाया जाकर राजस्व अभिलेख में रास्तें के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नायब तहसीलदार बडलियास ने अपने पत्र कमांक 280 दिनांक 24.04.2025 से रास्तें का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया है कि मौके पर राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया चूंकि प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 2771/123 पर पहूँच हेतु रास्ता दर्ज बाबत् निवेदन किया है। मुताबिक राजस्व रेकार्ड प्रार्थीया की खातेदारी आराजी में पहूँच मार्ग हेतु दो विकल्प है, जिन्हे संलग्न नजरी नक्शा एवं नक्शा ट्रैस में ''ए'' व ''बी'' से प्रदर्शित किया है। रास्ता – ''ए'' कोटा भीलवाडा नेशनल हाईवे आराजी नम्बर 126 से लगता बिलानाम आराजी नम्बर 119 गे0मु0 रास्ता से आराजी नम्बर 120/1 (खातेदारी भूमि) की पूर्वी मेड पर प्रस्तावित है। जिसका अनुमानित रकबा खातेदारी भूमि 120/1 में 0.0178 हैक्टैयर (2 गट्टा गुणा 22 गट्टा) बनता है और रास्ता ''बी'' कोटा नेशनल हाईवे आराजी नम्बर 126 से सीधा आराजी नम्बर 120/1 खातेदारी भूमि दक्षिणी मेड पर प्रस्तावित है। जिसका खातेदारी भूमि में अनुमानित रकबा 0.0194 हैक्टेयर (2 गट्टा गुणा 22 गट्टा) बनता है।

मौके पर उपस्थित आराजी नम्बर 120/1 के सहखातेदार ने रास्ते का आधा रकबा पडौसी आराजी नम्बर 2754/120 से प्रस्तावित करने हेतु कहा गया परन्तु उक्त आराजी मुताबिक रेकार्ड उद्योग किस्म में सम्परिवर्तित भूमि है। साथ ही आराजी नम्बर 2867/124 व 124/1 के खातेदारान ने भी बयान किया कि उनके द्वारा उक्त भूमि महाजन खातेदार से खरीदी है जबकि प्रार्थीया खातेदार श्रीमती कौर ने अपनी भूमि जाट जाति के खातेदार से कय की है और उसी जाट खातेदार ने श्रीमती कौर की कयशुदा भूमि के आगे का भाग (आराजी नम्बर 120/1) दूसरे खातेदार श्री शान्तिलाल, हरिओम पिता कन्हैयालाल कुम्हार को विकय कर दिया था। अतः रास्ता जाट खातेदार द्वारा विकय किये गये आराजी में से ही प्रस्तावित किया जावें। साक्ष्य हेतु साबिक जमाबन्दी प्रतिलिपियॉ प्रस्तुत की है जो संलग्न है। अतः आराजी नम्बर 2754/120 सम्परिवर्तित भूमि होने से एवं आराजी नम्बर 2867/124 अन्य विकेता द्वारा कय किये जाने से रास्ता 120/1 में प्रस्तावित किया जाना उचित होने से प्रस्तावित किया गया है। विपक्षीगण को जारी नोटिस की प्रति संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा दिनांक 04.03.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सपठित धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थीया श्रीमती हरजीत कौर सन्धु का दिनांक 08.02.2025 को निधन हो गया है। प्रार्थीया के कायम मुकाम प्रार्थीगण 1/1 जगतार सिंह संधु पुत्र श्री सेवा सिंह सिंधु, 1/2 मनरूप सिंह सन्धु पिता जगतार सिंह सन्धु, 1/3– जगरूप सिंह सन्धु पुत्र श्री जगतार सिंह सन्धु निवासी न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर भीलवाडा को प्रार्थीया के कायम मुकाम के रूप में संयोजित कराये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण में प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने नायब तहसीलदार बडलियास से प्राप्त रिपोर्ट स्वीकार करते हुये प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले प्रचलित डी0एल0सी0 दर से भुगतान हेतु सहमत है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सपठित धारा 151 जा0दी0 का स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर0टी0ए0 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि की ग्राम बन का खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 2771/123 रकबा 6 बीघा भूमि में आने–जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 व 02 की आराजी नम्बर 120/1 (खातेदारी भूमि) की पूर्वी मेड पर प्रस्तावित रकबा 0.0178 हैक्टैयर (2 गट्टा गुणा 22 गट्टा) भूमि सार्वजनिक रास्ते हेतु स्वीकृत किया जाता है। नायब तहसीलदार बडलियास प्रस्तावित रास्तें की राशि की गणना इस प्रकरण में आदेश दिनांक को प्रचलित डी.एल.सी.दर की दो गुणा राशि जो विपक्षी संख्या 01 व 02 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट नायब तहसीलदार बडलियास के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षी उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट नायब तहसीलदार बडलियास के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नायब तहसीलदार बडलियास को तहरीर जारी हो। नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चाडावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा